उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु दिये गये विकल्प पत्र।

अपर All employee list No.-22

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में।	एक्त की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नरेन्द्र कुमार कर्मचारी कोड–42270313M00222	अपर सहायक अभियन्ता	वि0 / यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर।	पिथौरागढ़ / मुनस्यारी	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	धारा के नाम के आगे (टिक) लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय प्रार्थी का मुख्यालय कार्यहित में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (दुर्गम) है। प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा 12 वर्ष 3 माह 6 दिन (एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार) दिनांक 15.04.2023 का प्रकाशित प्रथम पात्रता सूची में नाम क्रमांक 03 पर अंकित था। दिनांक 25.04.2023 व दिनांक 04.05.2023 संशोधित पात्रता सूची में नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुरोध पत्र दिनांक 27.04.2023 व दिनांक 08.05.2023 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में दिया गया है। महोदय मेरी धर्म पत्नी डॉ0 रश्मि आर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद पर (संविदा) में राजकीय महाविद्यालय रामनगर में कार्यरत है। अतः महोदय से अनुरोध है, कि प्रार्थी का स्थानान्तरण दुर्गम सेवा को देखते हुए सुगम कार्यालय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी अथवा पंचम वि0 / यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।
					पंचम वि0 / यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)	–	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)	–	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)	–	
						✓ धारा 17 (1) (ख) (चार)	साक्ष्य संलग्न है।	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच)	–	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (छः)	–	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	–	

(नरेन्द्र कुमार)
अपर सहायक अभियन्ता,
वि0 / यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर।

अधिशासी अभियन्ता
वि0 / यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

द्वारा उचित माध्यम

विषयः– स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु संशोधित पात्रता सूची में नाम अंकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अनुरोध करना है कि प्रार्थी का वर्ष 2023 में स्थानान्तरण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक–15.04.2023 को निर्गत स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु प्रथम पात्रता सूची के अनुसार क्रमांक–3 पर अंकित था लेकिन दिनांक–25.04.2023 को निर्गत दुर्गम से सुगम हेतु संशोधित पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम अंकित नही है।

महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी की (HRMS) पोर्टल के अनुसार सेवा विवरण निम्नवत् है।

1– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (कनिष्ठ अभियन्ता) दि0–06.08.2013 से 27.06.2017 तक 1778 दिन दुर्गम
2– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (अपर सहा0 अभियन्ता) दि0–28.06.2017 से 21.07.2017 तक 30 दिन दुर्गम
3– वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर (अपर सहा0 अभियन्ता) दि0–22.07.2017 से 26.07.2017 तक 5 दिन सुगम।
4– वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर (मु0–अल्मोड़ा) (अपर सहा0 अभियन्ता) दि0–27.07.2017 से वर्तमान तक 2669 दिन दुर्गम (अधीक्षण अभियन्ता पंचम, वि0/यॉ0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी के पत्रांक–1544/08 ई0एम0–05/17–18 दिनांक–26.07.2017 द्वारा मुख्यालय निर्धारण छायाप्रति संलग्न)।

प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा–4477 दिन एवं सुगम सेवा–05 दिन है।

महोदय अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–293/34 व्यय क–स्थानान्तरण–सा0/2022 दिनांक–24.02.2023 के अनुसार भी विद्युतयांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 बाजपुर का कार्यक्षेत्र/मुख्यालय–अल्मोड़ा दुर्गम में अंकित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा को देखते हुए दुर्गम से सुगम हेतु पात्रता सूची में नाम अंकित करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी को सुगम के रिक्त स्थान में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सके।

अतः सादर प्रेषित।

संलग्नः–यथोपरि।

प्रार्थी 27/04/2023
इं0 नरेन्द्र कुमार
अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)
वि0/यॉ0 ,खण्ड लो0नि0वि0 बाजपुर
मुख्यालय–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि– अग्रिम प्रति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा को देखते हुए दुर्गम से सुगम हेतु पात्रता सूची में नाम अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री/प्रान्तीय यॉ0 मंत्री उत्तराखण्ड डिप्लोमा इं0 संघ, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– मण्डल अध्यक्ष, कुमाऊ उत्तराखण्ड डिप्लोमा इं0 संघ, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी 27/04/2023
इं0 नरेन्द्र कुमार
अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)
वि0/यॉ0 ,खण्ड लो0नि0वि0 बाजपुर
मुख्यालय–अल्मोड़ा

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "घ" वर्ग,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु संशोधित पात्रता सूची में नाम अंकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोध करना है, कि प्रार्थी का वर्ष 2023 में स्थानान्तरण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15.04.2023 को प्रकाशित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु प्रथम पात्रता सूची के अनुसार कमांक 03 पर नाम अंकित था, लेकिन प्रथम संशोधित पात्रता सूची दिनांक 25.04.2023 को प्रकाशित एवं द्वितीय संशोधित पात्रता सूची दिनांक 04.05.2023 को प्रकाशित दुर्गम से सुगम पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। महोदय प्रार्थी का एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार सेवा विवरण निम्नवत् है–

1–निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (कनिष्ठ अभियन्ता) दिनांक 06.08.13 से 27.06.17 तक **(1778 दिन दुर्गम)**

2–निर्माण खण्ड लो0नि0वि0; अल्मोड़ा (अपर सहायक अभियन्ता) दिनांक 28.06.17 से 21.07.17 तक **(30 दिन दुर्गम)**

3–वि0यां0, खण्ड लो0नि0वि0, बाजपुर (अपर सहायक अभियन्ता) दिनांक 22.07.17 से 26.07.17 तक **(05 दिन सुगम)**

4–वि0यां0, खण्ड लो0नि0वि0, बाजपुर मुख्यालय–अल्मोड़ा (अपर सहायक अभियन्ता) दिनांक 17.07.17 से वर्तमान तक **(2669 दिन दुर्गम)**

(अधीक्षण अभियन्ता पंचम वि0/यॉं वंत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी के कार्यालय ज्ञाप–1554/08ई0एम0–05/17–18 दिनांक 26/07/2017 द्वारा कार्याहित में मुख्यालय निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा निर्धारित किया गया। (छायाप्रति संलग्न)

प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा 12 वर्ष 3 माह 6 दिन तथा सुगम सेवा कुल 5 दिन है।

महोदय प्रार्थी द्वारा प्रथम संशोधित पात्रता सूची के प्रकाशन दिनांक 25/04/2023 के बाद दिनांक 27/04/2023 को सूची में नाम अंकन करने हेतू अनुरोध पत्र दिया गया है, जिसकी पत्र प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न है।

महोदय अवगत कराना है कि वर्ष 2022 के स्थानान्तरण प्रथम पात्रता सूची दिनांक 15/05/2022 को प्रकाशित सूची में भी प्रार्थी का नाम अंकित था, लेकिन दिनांक 25/05/2022 को संशोधित सूची से प्रार्थी का नाम हटा दिया गया था, जिसके अनुरोध में प्रार्थी द्वारा कार्यालयध्यक्ष के ई–मेल (eeempwdbazpur@gmail.com) द्वारा विभागाध्यक्ष द्वारा आंवटित मेल आई.डी. nimising.pwd@gov.in के माध्यम से दिनांक 29/जून/2022 को पात्रता सूची में नाम अंकन करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था। पुनः दिनांक 10/मार्च/2023 को प्रार्थी द्वारा सूची को संशोधित कर नाम अंकित करने हेतु अनुरोध पत्र विभागाध्यक्ष को दिया गया है। (पत्र प्राप्त की छायाप्रति संलग्न)

अतः महोदय से विनम्र अनुरोध करना है, कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान तक 12 वर्ष 3 माह 6 दिन की दुर्गम सेवा की गयी है, लेकिन स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2022 एवं 2023 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यॉत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु संशोधित पात्रता सूची से बार–बार नाम हटा दिया जा रहा है, जिसके अनुरोध में प्रार्थी द्वारा बार–बार पात्रता सूची में नाम अंकित करने हेतु अनुरोध पत्र दिया जा रहा है, लेकिन प्रार्थी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी की दुर्गम सेवा को देखते हुये स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यॉत्रिक की दुर्गम से सुगम हेतु पात्रता सूची में नाम अंकित कराने की कृपा करें, यदि प्रार्थी की समस्या का समाधान शीघ्र–अतिशीघ्र नहीं होता है, तो बाध्य होकर प्रार्थी को न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

दिनांकः–

प्रार्थी

06/05/23

(इं0 नरेन्द्र कुमार)
अपर सहायक अभियन्ता, (यॉ)
वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0 बाजपुर,
मुख्यालय नि0ख0 लो0नि0 वि0 अल्मोड़ा

प्रतिलिपिः– अग्रिम प्रति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी की कुल दुर्गम सेवा को देखते हुए दुर्गम से सुगम हेतु पात्रता सूची में नाम अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री/प्रान्तीय यॉ0 मंत्री उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– मण्डल अध्यक्ष, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

06/05/2023

(इं0 नरेन्द्र कुमार)
अपर सहायक अभियन्ता, (यॉ)
वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0 बाजपुर,
मुख्यालय नि0ख0 लो0नि0 वि0 अल्मोड़ा

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)

अनुभव प्रमाण पत्र

दिनांक : 02 / 12 / 2021

प्रमाणित किया जाता है कि कु० रश्मि आर्या पुत्री श्री महेश प्रकाश द्वारा महाविद्यालय में संविदा शिक्षक व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विभाग के रूप में सत्र 2020–21 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर रही है। अध्यापन कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

सत्र 2020–21	18 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तथा
सत्र 2021–22	03 अगस्त 2021 से अद्यतन पर्यन्त

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

(प्रो० एम०सी० पाण्डे)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामनगर (नैनीताल)

27-5-23 Affea. 15-5-23

Sogam-18/22 अपील

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मुख्य जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नन्द किशोर भारती	AAE (m)	C.D.P.W.D. Khatima Distt. U.S. Nagar	पिथौरागढ़ / गंगोलीहाट	1- नि० ख० लो० नि० वि० पोखरी जिला-चमोली 2- अ० ख० लो० नि० वि० गोचर जिला-चमोली 3- प्रा० ख० लो० वि० कर्णप्रयाग जिला-चमोली 4- नि० ख० लो० नि० वि० थराली जिला-चमोली 5- अ० ख० लो० नि० वि० बेरीनाग जिला-पिथौरागढ़	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (चार)	पत्नी का G.G.I.C. नागनाथ पोखरी जिला-चमोली में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र	
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट : कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) N Bharti

नाम– नन्द किशोर भारती

पदनाम– अपर सहा० अभियन्ता (यां०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) अधिशासी अभियन्ता

नाम– निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

पदनाम– खटीमा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती इन्दु भारती स०अ० (एल०टी०) पत्नी श्री नन्द किशोर भारती इस विद्यालय राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज पोखरी(चमोली) में दिनॉक 2/12/2011 से अद्यतन कार्यरत है।

स्वप्रमाणित
नन्द किशोर भारती
अपर सहायक अभियन्ता (यॉ०)
नि० ख० लो०नि० वि० खटीमा
जिला-ऊधम सिंह नगर

Principal
G.G.I.C. Pokhari
Chamoli

Scanned with CamScanner

D-13

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोनिका बर्त्वाल	अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी (बिन्यालीसौड)	टिहरी गढ़वाल/ प्रतापनगर	1. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून 2. वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून 3. 11वां वि0/यॉ0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून 4. वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश	धारा के नाम के आगे ✓ लगाए	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थिनी के पति श्री पंकज बर्त्वाल, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर अस्थाई वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर में कार्यरत हैं। वर्तमान में स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी के पति दोनों ही दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। अतः स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 (3) एवं 17 (1)(ख)(चार) के अन्तर्गत प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति को सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के आधार पर कॉलम (6) में ऐच्छिक स्थान पर अथवा प्रार्थिनी के पति का दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर समीपवर्ती सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की कृपा की जाए।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (चार)	1. विवाह प्रमाण पत्र 2. सेवा पुस्तिका की छायाप्रति 3. प्रमाण पत्र	
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट :– कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

सोनिका बर्त्वाल

अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)

हस्ताक्षर (विभागाध्यक्ष)

नाम :– इं. मनोज दास

पदनाम :– अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– उत्तराखण्ड के लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–13 (3) एवं धारा–17 (1) (ख) (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार से है, कि प्रार्थिनी वर्तमान में निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी में अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0) के पद पर वर्ष 2017 से कार्यरत है। प्रार्थिनी के पति इं0 पंकज बर्त्वाल, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर अस्थाई वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर जनपद चमोली में वर्ष 2020 से कार्यरत हैं। प्रार्थिनी की दुर्गम कार्यक्षेत्र में कुल सेवा अवधि 8 वर्ष 6 माह 28 दिन तथा वर्तमान कार्यालय में सेवा अवधि 5 वर्ष 8 माह हो चुकी है। प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु भी पात्र हैं। प्रार्थिनी के पति की तैनाती सीमान्त जनपद चमोली में होने के कारण, प्रार्थिनी के पुत्र, जो अभी मात्र 3 वर्ष का है, के पालन–पोषण एवं देखभाल की जिम्मेदारी अकेले प्रार्थिनी पर है। प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी के पति के सीमान्त जनपदों के कार्यरत होने के कारण दोनों को राजकीय दायित्वों के साथ–साथ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी हो रही है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है, कि उत्तराखण्ड लोक लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–13 (3) एवं धारा–17 (1) (ख) (चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती) के अन्तर्गत सहानुभूति पूर्ण विचार करते हुए प्रार्थिनी का स्थानान्तरण, अनुरोध के आधार पर संलग्न प्रारूप (2) में अंकित ऐच्छिक स्थानों में करने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थिनी सदैव आपकी आभारी रहेगी।

इं0 सोनिका
अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड़)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि इं0 सोनिका बर्त्वाल, अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी (चिन्यालीसौड) के पति इं0 पंकज बर्त्वाल, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर अस्थाई वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर जनपद चमोली में कार्यरत हैं

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0 खण्ड
अ0 वि0/यॉ0 खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर
गोपेश्वर (चमोली)

OFFICE OF THE REGISTRAR COMPULSORY REGISTRATION OF MARRIAGES
DEHRADUN-IV,DEHRADUN,UTTARAKHAND(INDIA)

(Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)

PANKAJ BARTWAL SONIKA

ID-6763 5627 2615 ID-5099 8982 0111

This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage dated 22 May 2019 of Shri/Mr PANKAJ BARTWAL Son of Shri LAKHPAT SINGH BARTWAL Resident of VILL & POST ALI CHAMOLI UTTARAKHAND and Shrimati /Mrs. SONIKA wife of Shri PANKAJ BARTWAL resident of VILL & POST ALI CHAMOLI UTTARAKHAND the Memorandum of Marriage solemnized on 22 Feb 2019 at SANSKAR GARDEN RING ROAD JOGIWALA DEHRADUN has been entered at serial number 330 at page number 25 to 32 of volume number 146 dated 22 May 2019.

Dated-22 May 2019

Registrar
Compulsory Registration of Marriages
DEHRADUN-IV,DEHRADUN
UTTARAKHAND (INDIA)

Registrar Compulsory Marriage Registrar-IV Dehradun

स्वयमाणित

FORM OF NOMINATION

When the subscriber has a family and wishes to nominate one member(s) thereof.

I hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are a member(s) of my family as defined in rule 2 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, to receive the amount that may stand to my credit in the fund, in the event of my death before that amount become payable, or having become payable/has not been Paid.

Name & address of Nominee	Relationship with subscriber	Age	Contigencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Full name, address & relationship of person if any to whome the right of the nominee shall pass in the event of his precedeasion the subscriber
(1) Mrs SUMNI DEVI VILLAGE - POKHRI PATTI - BHADURA P.O - KHALARGAON DISTRICT - TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND	MOTHER	53		
(2) Mr. SHIVRAJ SINGH VILLAGE - POKHRI PATTI - BHADURA P.O - KHALARGAON DISTRICT - TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND	FATHER	58.		
(3) Mr. DIVIT BARTWAL Dob = (12-03-2020)	SON	2		
(4) Mr. PANKAJ BARTWAL Dob = 15-03-1989	HUSBAND	33		

Date this 31-03-2022 day of THURSDAY (year 2022) at Chinyalisaur

Two witnessess to signature

1. 2.

Signature of Subscriber

सत्यापित

AAC(M)

Durgam-2

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपदद/तहसीनल का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धार जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
3	4	5	6	7	8	9
अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला	उत्तरकाशी /बड़कोट	1. नि0ख0, लो0नि0वि0 पुरोला 2. अ0ख0 लो0नि0वि0 चकराता 3. प्रा0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी 4. नि0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	शासनादेश संख्या 1/120990/2023 /xxx(2) / E-33080 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 02 के आधार पर। प्रार्थी के विरूद्ध कोई जॉच एवं शिकायत आदि प्रशासनिक आधार पर मामले प्रचलित नही है।
				☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
				☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
				☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
				☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
				☐ धारा 17(1) (ख) (पॉच)		
				☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	शासनादेश संख्या/120990/2023 /xxx(2) /E-33080 की प्रति	
				☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य तभी एक्ट की धार के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

र (कार्मिक)

दिनेश असवाल

– अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– दीपक कुमार

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पुरोला

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

27-5-23 को पुनः मेल भेजा है। Durgam-2

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया जा रहा है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिनेश असवाल	अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला	उत्तरकाशी/ बड़कोट	1. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि पुरोला	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	उत्तराखण्ड सरकार की शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2) /E33080 दिनांक 10–05–2023 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 02 के क्रम में अनुरोध करना है कि मेरी सेवाओं को इसी दुर्गम खण्ड में बनाए रखने हेतु मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जाए। मैं आगामी समय में इसी खण्ड में दुर्गम में सेवा करना चाहता हूँ एवं मेरी सेवा काल में मेरे विरूद्ध कोई भी जॉच एवं शिकायत आदि प्रशासनिक आधार पर मामले प्रचलित नही है।
						☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17 (1) (ख) (छः)	शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2) /E33080 दिनांक 10–05–2023 की प्रति एवं प्रमाण पत्र।	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– दिनेश असवाल

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– दीपक कुमार

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पुरोला

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश असवाल, इस खण्ड में अपर सहायक अभियन्ता (यॉ0) के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में इनके विरूद्ध कोई भी जॉच एवं शिकायत आदि प्रशासनिक आधार के मामले प्रचलित नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

स्वप्रमाणित
Aswal
APE

After-15-5-23

Duegam-4

entry done.

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	डा० दीपक जुयाल	अपर सहायक अभियन्ता (यां०)	अस्थाई वि०/यां० खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर	गृह जनपद टिहरी/तहसील–टिहरी	अस्थाई वि०/यां० खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाए	प्रस्तुत तथ्यों का विवरण	कार्यालय पत्र संख्या–1/120090/2023/XXXX1/E – 33080 दिनांक 10.06.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रार्थी वर्तमान कार्यालय (मूल स्थान) में ही नियत रहने का इच्छुक है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट :– कालम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कर्मचारी)

नाम – दीपक जुयाल

पदनाम – अपर सहायक अभियन्ता (यां०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई वि०/यां० खण्ड
लो०नि०वि०
गोपेश्वर (चमोली)

नाम – पंकज बत्वाल

पदनाम – अधिशासी अभियंता (वि०/यां०)

D-6

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पंकज धीर सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	पिछड़ी गढ़वाल तहसील- देवप्रयाग	निर्माण खण्ड पौड़ी अ0ख0 कीर्तिनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– पंकज धीर सिंह

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

अधिशासी अभियन्ता

नाम– प्र0अ0 ले0नि0वि0

पदनाम– पौड़ी गढ़वाल

8/5/2023

D-16

अनुरोध के आधार पर आदेदन करने का प्रारूप – 02

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसार अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गौरव त्यागी	अवर सहायक अभि0 (यां0)	प्रा0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	डोईवाला/देहरादून	(1) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर (2) अ0ख0 कीर्तिनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छः) ✓ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी जून 2018 से अब तक प्रा0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी मे कार्यरत है और स्थानान्तरण हेतु पात्र है अतः स्थानान्तरण अधिनियम - 2017 की धारा 17 (ख)(छ) के अनुसार अनुरोध कर रहा है।

नाम – गौरव त्यागी
पदनाम अवर सहायक अभि0 (यां0)
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
नाम – इं0 रजनीश कुमार
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

Duugam- 31/35 अपात्र

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कर्मचारी कार्यालय का नाम	मुख्य जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक सीमा वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अरुण कुमार कठेरिया	अपर सहायक अभियन्ता (यो0)	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत	नैनीताल/हल्द्वानी	वि0/यो0 खण्ड, लो0नि0वि0, मालपुर, मुख्यालय-अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
2					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	☐ धारा 17 (1)(क) (एक)		
3					प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	☐ धारा 17 (1)(ख) (दो)		
4					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	☐ धारा 17 (1)(ग) (तीन)		
5						☐ धारा 17 (1)(घ) (चार)		
6						☐ धारा 17 (1)(ङ) (पाँच)		
7						☑ धारा 17 (1)(च) (छः)		
8						☐ धारा 17 (1)(छ) (सात)		

नोट - कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कर्मचारी)

नाम - अरुण कुमार कठेरिया

पदनाम - अपर सहायक अभियन्ता (यो0)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम - इ0 वी0सी0 पन्त

पदनाम - अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत

Scanned by CamScanner

Sugam - 19/22 31417

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने को प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सोनू दीप	अपर सहा० अभि० (वि०/कं०)	प्रा०ख० लोनिवि० नैनीताल	देहरादून/विकासनगर	प्रा०ख० चकराता प्रा०ख० गोपेश्वर वि०ख० उत्तरकाशी वि०/लो०नि० ख० गोपेश्वर	धारा के नाम के आगे √ लगावें ☐ धारा 17(1)(ख)(एक) ☐ धारा 17(1)(ख)(दो) ☐ धारा 17(1)(ख)(तीन) ☐ धारा 17(1)(ख)(चार) ☐ धारा 17(1)(ख)(पांच) ☐ धारा 17(1)(ख)(छः) ☑ धारा 17(1)(ख)(सात)		

धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम – डा० सोनू दीप

पदनाम – अपर सहा० अभि० (वि०/कं०) प्रा०ख० लोनिवि० नैनीताल।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

31/5/23

नाम –

अधिशासी अभियन्ता

पदनाम – मण्डल, लो०नि० वि० नैनीताल

Sugam - 19/22 अपील

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(01)	सोनू दीप	अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	प्रा0ख0 लो0नि0वि0 नैनीताल	देहरादून	(1) अ0ख0 श्रीनगर (2) नि0 ख0 कोटद्वार (3) प्रा0ख0 गोपेश्वर (4) वि0/यां0 खण्ड गोपेश्वर (5) रा0मा0ख0 श्रीनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट– कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– सोनू दीप

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
नैनीताल।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– Ratnesh Kumar Saxena

पदनाम– Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL

17(1) ख (7)

Sugam-2 (only done.)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विनीत कुमार	अपर सहायक अभियन्ता (यां०)	वि०/यां० मण्डल० वि० सीतापुर	हरिद्वार (रुड़की)	(i) प्रान्तीय मण्डल० वि० वि० गोपेश्वर। (ii) वि०/यां० मण्डल० वि० वि० गोपेश्वर। (iii) प्रान्तीय मण्डल० वि० वि० उत्तरकाशी। (iv) उरथाई मण्डल० वि० वि० कीर्तिनगर। (v) राष्ट्रीयराजमार्ग मण्डल० वि० वि० श्रीनगर।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

नोट– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– विनीत कुमार

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता (यां०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 16/5/23

नाम–

पदनाम–

IMG-20230512-WA0036.jpg

16/23, 1:44 PM

1/1

S-9

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नमन चमोली	अपर सहायक अभियन्ता (यां0)	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।	पौड़ी	प0ख0 लो0नि0वि0 कीर्तिनगर सा0ख0 खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	धारा के नाम के आगे √ लगायें ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☑ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

नोटः– कालम संख्या 7 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

(नमन चमोली)
अपर सहायक अभियन्ता (यां0)
निर्माण खण्ड–लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल

मूल में संस्तुति सहित

(इं. संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2 All Rozgar sewi - 24

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 तक) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा 13 (2), धारा 7 (घ-5) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्य सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती गौतम	कनिष्ठ अभियन्ता (यां)	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।	उधमसिंह नगर/ जसपुर	वि0/यां0 बाजपुर नि0खं0 काशीपुर नि0खं0 रामनगर प्रा0खं0 रुद्रपुर नि0खं0 खटीमा वि0/यां0 देहरादून वि0/यां0 भीमताल पंचम वृत्त, वि0/यां0 हल्द्वानी। 11 वाँ वृत्त, वि0/यां0 हल्द्वानी।	एक्ट की धारा 13 (2), धारा 7 (घ-5) के अनुसार दुर्गम से सुगम खण्ड हेतु अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु।	प्रार्थिनी की निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। मेरे द्वारा पूर्व में भी स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 138/02 व्यय-सामान्य/16 दिनांक 28.02.2023 (संलग्न) द्वारा प्रार्थिनी को ट्रान्सफर एक्ट के दौरान पुनः आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया था। महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रार्थिनी का दिसम्बर, 2022 में ऑपरेशन भी हुआ है। प्रार्थिनी के पति वर्तमान में केन्द्र सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय, दिल्ली में सिविल पद में कार्यरत् हैं। अत्यधिक दूरी होने के कारण प्रार्थिनी के वैवाहिक जीवन में भी कठिनाईयाँ आ रही हैं एवं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ माता पिता की आयु 70 वर्ष है, उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी भी प्रार्थिनी के ऊपर ही है। अतः प्रार्थिनी की उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये निजि हित में अनुरोध के आधार पर कॉलम 6 में अंकित ऐच्छिक स्थानों में से एक खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

(इ0 साधना गौतम)
कनिष्ठ अभियन्ता (यां)
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट

(इ0 संजीव राठौ)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट

Scanned with CamScanner